कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

# होटल में जुआ खेलते 8 अभियुक्त गिरफ्तार

जयपुर 13 सितम्बर। झालावाड पुलिस ने होटल रॉयल पैलेस खानपुर से ताश के पते पर जुआ राशि लगाते 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुलजिमों के कब्जे से कुल राशि 2091135/– रुपये बरामद करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक झालावाड, श्री आनन्द शर्मा ने आज जानकारी देते हुए बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री खुशाल सिंह राजपुरोहित, उपअधीक्षक श्री विमल सिंह के नेतृत्व में थाना खानपुर की एक विशेष टीम गठित की गई।

श्री शर्मा ने बताया कि पुलिस थाना खानपुर टीम ने जुआ राशि 2091135/– रुपये के साथ 8 मुल्जिम खानपुर के रिषभ जैन उर्फ कालू पुत्र चोथमल जाति महाजन (37), निवासी कागलो का मोहल्ला, फिरोप पुत्र हुसैन (38), निवासी धाकडो का मोहल्ला, अफजल पुत्र ईद मोहम्मद (42) निवासी बस स्टैण्ड, अनिल शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र मोहन (42), निवासी बडा बाजार, महावीर पुत्र प्रेमचन्द (38), निवासी चॉदखेडी,अब्दुल रहीम पुत्र अलनुर भाई (43), निवासी सारोला रोड, महावीर पुत्र ओमप्रकाश(35), बडा बाजार तथा नवल शर्मा पुत्र रामेश्वर, निवासी नया बस स्टैण्ड को थाना खानपुर पुलिस ने होटल रॉयल पैलेस खानपुर से ताश के पते पर जुआ राशि लगाते 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुलजिमों के कब्जे से कुल राशि 2091135/– रुपये बरामद किये है।

राही/सन्तरा/664/2017

नोटः–उक्तप्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपरभीउपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

# दुश्कर्म के प्रयास के मामले का आरोपी सलाखों के पीछे

जयपुर 13 सितम्बर। पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री अनिल टांक ने बताया कि थाना सीकरी क्षेत्र के गांव किशनपुरा निवासी एक व्यक्ति ने गांव तकिया हुसेपुर थाना सीकरी निवासी नस्सर उर्फ मुग्गर उर्फ बाला पुत्र अब्दुल उर्फ पीपलिया जाति फकीर के विरूद्ध प्रार्थी की दो नाबालिग चचेरी बहनों के साथ स्कूल से आते समय मारपीट कर दुष्कर्म करने के प्रयास का एक मामला 9 सितम्बर 2017 को थाना सीकरी पर मुकदमा दर्ज कराया था।

थानाधिकारी श्री केशरसिंह उ0नि0 द्वारा अनुसंधान के दौरान उक्त मामले के नामजद आरोपी **नस्सर उर्फ मुग्गर उर्फ बाला पुत्र अब्दुल उर्फ पीपलिया जाति फकीर निवासी तकिया हुसेपुर थाना सीकरी** को गिरफतार किया गया है।

राही/सन्तरा/665/2017

नोटः–उक्तप्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपरभीउपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

**प्रेस नोट**

# राज्य पुलिस जवाबदेही समिति की बैठक सम्पन्न

जयपुर, 13 सितम्बर। राज्य पुलिस जवाबदेही समिति की बैठक आज बुधवार को डी–4, बादामी भवन,बैंक ऑफ इण्डिया,स्वर्णकार कॉलोनी,आर.पी.ए. रोड़,जयपुर में में सम्पन्न हुई।

बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत जस्टिस श्री जी.एल. गुप्ता द्वारा की गई। समिति की बैठक में अन्य सदस्यों श्रीमती शशी अग्रवाल व शफी मोहम्मद ने भाग लिया।

आज राज्य पुलिस जवाबदेही समिति की बैठक में विचाराधीन प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया। समिति के समक्ष पीड़ित व्यक्तियों ने व्यक्तिगत पेश होकर परिवाद प्रस्तुत किया। जिनकी समिति द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई कर उनकी शिकायतों का नियमानुसार निराकरण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

विगत मिटिंग में लिये गये निर्णयों की पालना में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट नहीं भिजवाने पर उन्हें आगामी मिटिंग में स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये गये।

राही / मनीष / अमन / 369 / 2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

## कार्यालय अतिरिक्तमहानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
## (जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

# प्रेसनोट

### प्रदेश में शांति, सद्भाव एवं भाईचारे के लिये
### अपराधियों के साथ सख्ती से निपटा जाये

**–गृहमंत्री**

जयपुर, 13 अक्टूबर। गृह मंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को अपराधियों से सख्ती से निपटने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस अपराधियों एवं अपराधों को नियंत्रित करने का हरसंभव प्रयास करें, जिससे कि प्रदेश में शांति, सद्भाव एवं भाईचारा बना रहे। उन्होंने कहा कि हार्डकोर अपराधियों एवं गंभीर किस्म के अपराधों को नियंत्रित करने के लिये ऐसी कार्ययोजना तैयार करें कि अपराधियों में भय पैदा हो।

श्री कटारिया बुधवार को पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुराने लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिये एक अभियान चलाया जाये।

उन्होंने कहा कि स्थाई वारंटी, भगोडे एवं मफरूरों के खिलाफ पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर सामयिक पर्यवेक्षण करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जावे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की मंशा है कि आये दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए हरसंभव प्रयास किया जाकर इनसे होने वाली मौतों की संख्या में कमी लाना है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि वर्ष 2015 की अपेक्षा 2017 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 7 प्रतिशत कमी आई है। इसी प्रकार घायलों की संख्या में लगभग 7 प्रतिशत कमी

आई है किन्तु इन दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या में विशेष कमी नहीं आई है। बैठक में तेज गति से वाहन चालन, शराब पीकर वाहन चालन पर प्रभावी रोक, हेलमेट, लेन ड्राईविंग पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये गये ।

गृहमंत्री ने बताया कि दुपहिया वाहनों से होने वाली मृत्युदर में कमी लाने के लिये गांवों में भी हैलमेट लगाने के प्रावधान को सख्ती से लागू किये जायें।

श्री कटारिया ने बताया कि प्रदेश में हत्या, अपहरण एवं दुष्कर्म जैसे संगीन अपराधों में भी गिरावट हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले अढाई वर्षो से लगातार आईपीसी के अपराध कम होना सुखद है, पुलिस के सामूहिक प्रयासों की वजह से संगीन अपराधें का खुलासा हुआ उसके लिये साधुवाद। उन्होंने बताया कि गत वर्ष की तुलना में माह अगस्त तक आईपीसी के अपराधों में 6.85 प्रतिशत कमी आई है। उन्होंने बताया कि महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में 4 प्रतिशत कमी हुई है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराधों में 45 से 51 प्रतिशत के प्रति अपराधों में 24 प्रतिशत कमी आई है ।

गृह मंत्री ने निर्देश दिये कि प्रदेश में बढ़ रहे साईबर अपराध चिंता का विषय है, इसे रोकने की प्रभावी कार्यवाही की जाये, ताकि पुलिस की छवि और सुधार हो सके।

श्री कटारिया ने कहा कि जो पुलिसकर्मी 5 साल से ज्यादा समय से थानों एवं यातायात में कार्यरत हैं, उन्हें अन्य जगहों पर लगाया जाये, इसी प्रकार सीएलजी के सदस्य जिन्हें 2 वर्ष से अधिक समय हो गया है, उनके स्थान पर नए सदस्य बनाये जावें।

बैठक में विशेष पेंशन, पदोन्नति नियम, थानों को बेकार सामान से मुक्त करने जैसे विषयों पर भी चर्चा के साथ ही इस वर्ष में अपराधों की रोकथाम के लिये निर्देश दिये कि अपराध प्रबंधन में आधुनिक तकनीक व सूचना तंत्र का अधिक से अधिक उपयोग कर संगठित अपराध एवं हार्डकोर अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जायें।

श्री कटारिया ने कमजोर वर्ग के लोगों को त्वरित न्याय दिलाने की पैरवी करते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्ग के दर्ज अपराधों के अन्वेषण में तेजी लायें तथा मानव तस्करी जैसे संगीन अपराधों पर पूरा अंकुश लगाया जाये। उन्होंने इस वर्ष तय पुलिस प्राथमिकताओं को अमल में लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आर्थिक एवं साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिये पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाये। उन्होंने पुलिस थानों, पुलिस लाईन एवं पुलिस कार्यालयों को सौन्दर्यीकरण के साथ वहां स्वच्छता का भी पर्याप्त ध्यान दिया जाये।

श्री कटारिया ने कहा कि आगामी रिक्तियों में कांन्सटेबल से हैड कांन्सटेबल पद पर पदोन्नति 50 प्रतिशत वरिष्ठता एवं शेष 50 प्रतिशत योग्यात्मक परीक्षा द्वारा होगी। हैड कान्सटेबल के पद भी बढाएं जायेंगे। उन्होने कहा कि राज्य के पुलिस थानों के मालखानें में रखें हुए सामान के निस्तारण में खास सफलता हासिल नहीं हुई किन्तु अलवर जिला पुलिस ने पिछले 8 महिनों में 8300 नाकारा सामान का निस्तारण किया वो काबिले तारीफ है हमारी यही मंशा है कि राज्य के समस्त जिले इसी प्रकार का उदाहरण पेश करे।

प्रमुख शासन सचिव गृह श्री दीपक उप्रेती ने पुलिस अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों की प्रशंसा करते हुए निरीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निरीक्षण प्रक्रिया से व्यवस्था चुस्त–दुरूस्त रहती है। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों के जर्जर भवनों की रिपेयर समय पर करवाई जाये।

बैठक में अतिरिक्त महानिदेशक प्रशिक्षण श्री नंदकिशोर ने बताया कि विभाग ने प्रशिक्षण गुणवत्ता में विशेष ध्यान दिया है। इस वर्ष उन्होंने 25 प्रशिक्षक सीआरपीएफ से

प्रतिनियुक्ति पर लिये है जिनसे विभागीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। इस वर्ष माह अगस्त तक 9000 से अधिक पुलिस अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है ।

बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति, विशिष्ठ प्रकरणों के अन्वेषण तथा सीसीटीएनएस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई ।

अतिरिक्त महानिदेशक उमेश मिश्रा ने ईआरटी एवं एसओजी के स्टाफ को विशेष जोखिम भत्ता 25 प्रतिशत की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव दिया जिसे स्वीकृति हेतु वित विभाग को भेजने के निर्देश दिये गये ।

बैठक में महानिदेशक पुलिस श्री अजीत सिंह ने गृह विभाग के लम्बित मामलों पर चर्चा में पुलिस विभाग की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की मुस्तैदी से प्रदेश के अपराध घटे हैं, वहीं कानून व्यवस्था एवं आईपीसी के तहत दर्ज अपराधों की रोकथाम में पुलिस ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

महानिदेशक पुलिस ने बताया कि शिक्षित कांस्टेबल्स को उनके अनुभव के आधार पर जांच कार्य में लगाकर स्टाफ की कमी को दूर किया जा रहा है, जिस पर गृह सचिव श्री उप्रेती नें इस सम्बन्ध में विचार विमर्श कर पूर्ति करने हेतु निर्देशित किया।

बैठक में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सर्वश्री कपिल गर्ग, पंकजकुमार सिंह, ओ पी गल्होत्रा, बी एल सोनी, नंदकिशोर, राजीव दासोत, एन.आर.के रेड्डी, श्री डी.सी. जैन, श्री राजीव शर्मा, श्री सौरभ श्रीवास्तव, ऐ. पौन्नुचामी एवं श्री एम.एल. लाठर, उमेश मिश्रा, सुनील मेहरोत्रा,श्री निवास राव जंगा, कुमार इंदूभूषण, भूपेन्द्र दक, निरसिम्हा राव, डी एस दिनकर सहित गृहमंत्री के विशिष्ठ सचिव श्री महेन्द्र पारख ने बैठक में भाग लिया।

–

राही/मनीष/अमन/361/2017

नोटः–उक्तप्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपरभीउपलब्ध है।